न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात अपील वाद संख्या-48/2023

लल्लू गंझू

बनाम्

राज्य

-: आदेश :-

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी लल्लु गंझू पिता-स्व0 मखु गंझू, सा0-गरदाग, डुमरचुंवा, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के अधिहरण वाद संख्या-11/2021 में दिनांक 24.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH19C-3415 ट्रॉली सहित से लटदाग संरक्षित वन क्षेत्र से लटदाग सड़क निर्माण के लिए पत्थर ले जा हरे थे। इसी बीच वन कर्मी के द्वारा ट्रैक्टर को पकड़कर जप्त कर लिया गया। जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0-JH08A-5058 ग्राम-अक्सी, थाना-बालूमाथ जिला-लातेहार के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन अपीलार्थी ने उससे खरीद लिया था, परन्तु नामान्तरण नहीं कराया था। उक्त जप्त ट्रैक्टर को राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए दिनांक 01.11.2022 को जप्ती आदेश प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत जांच किये बगैर तथ्यों व विधि के विपरित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि मतनाग संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम की धारा-29 के तहत् अधिसूचित किया गया है, लेकिन अधिसूचना संख्या और संरक्षित वन क्षेत्र का क्षेत्र स्पष्ट नहीं किया गया है। ट्रैक्टर को जप्त होने से अपीलार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। अतः अधिहरण वाद संख्या-04/2019 में दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश को रद्द किया जाय।

लोक अभियोजक, लातेहार के पत्रांक 1381 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि "The Jharkhand Minerals (Prevention of

Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. मतनाग सुरक्षित वन से पत्थर उत्खनन कर ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08A-5058 द्वारा परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33(1)(बी) के तहत् एक दण्डनीय वन अपराध है। अपीलार्थी के द्वारा पत्थर बोल्डर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत परिवहन चालान न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, लोक अभियोजक, लातेहार का मंतव्य एवं अभिलेख में उपस्थित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मतनाग सुरक्षित वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH08A-5058 से परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33(1)(बी) के तहत् एक दण्डनीय वन अपराध है। अपीलार्थी के द्वारा पत्थर बोल्डर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत परिवहन चालान न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है तथा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा अधिहरण वाद संख्या–04/2019 में दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:40:06 +05:30
Location: 192.168.164.143